

समाहरणालय मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

- आदेश -

श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित आवेदन पर सम्बन्ध विभागेपरान्त श्री प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा से वरीय उप समाहर्ता मद्य निषेध के प्रभार से मुक्त किया जाता है तथा पूर्व में वरीय उप समाहर्ता के रूप में आवंटित अतिरिक्त सभी कार्य यथा- 1. स्थापना उपसमाहर्ता, 2. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, 3. जोडल पदाधिकारी, आर०टी०वी०एस०, 4. जोडल पदाधिकारी, लोक शिक्षण विचारण, 5. जोडल पदाधिकारी, डी०आर०सी०टी० यथावत रहेंगे।

कार्यभार में श्री मनोज कुमार पवन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को पूर्व में आवंटित कार्य के अतिरिक्त वरीय उप समाहर्ता, मद्य निषेध उत्पाद अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा का सभी कार्यों का सम्पादन करने का आदेश दिया जाता है। पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह/

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

आपांक 232-2 / स्था०, मधेपुरा, दिनांक 03/04/2017

प्रतिलिपि- श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा/ श्री मनोज कुमार पवन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा/ उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनमंज/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा/ उदाकिशुनमंज को सूचनाएँ एवं अनुपालनाएँ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।